

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प अमरवासी)

प्रकरण संख्या 719/23

दिनांक 29.06.2023

उनवान

श्री सुरजमल पुत्र काशी जाजि धाकड

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा


--: आदेश :-


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रोपां । भू.अ.नि. रोपां एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रोपां प्रथम प. ह. रोपां । की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 306, 307, 347, 348, 350, 416, 141, 142, मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम	सुरज्या पुत्र काशी जाति धाकड	सुरजमल पुत्र काशी जाति धाकड

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी सुरजमल पुत्र काशी जाजि धाकड
- रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा